कार्यालय संयुक्त निदेशक फा0स0 मुख्यालय लखनऊ।

पत्रांकः आर– 10/जे0डी0/लखनऊ–16(गाजि0)/56/251 दिनांकः अप्रैल 13 2016,

सेवा मे,

नगर नियोजक,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

विषय: **मैसर्स अग्रवाल एसोसियेट (प्रमोटर्स लि0) द्वारा प्लाट नं0 जी0एच0–01, आदित्य वर्ल्ड सिटी इन्टीग्रेटिड टाउनशिप ग्राम शाहपुर बम्हेटा, गाजियाबाद मे प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन के निर्माण हेतु मानचित्रो की अनुज्ञा हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।**

सन्दर्भः यूआईडीः2016/19376/जीबीएन/गाजियाबाद/1129/जे0डी0

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रश्नगत आवासीय भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रो का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी कोतवाली गाजियाबाद से कराया गया तथा उनकी आख्या पत्रांकःआर–8/एफएसके/2016, दिनांकः 22–03–2016 का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद एवं उपनिदेशक फा0स0 मेरठ द्वारा कर अपनी संस्तुति आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराई जिसका सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण किया गया प्रस्तावित भवन का विवरण निम्नवत है:–

भवन की संरचनाः– कुल प्लाट एरिया–36,478.700 वर्ग मी0 है।

1–नेट प्लाट एरिया–31,006.895 वर्ग मी0।

2–प्रस्तावित भूतल कवर्ड एरिया–2653.175 वर्ग मी0।

3–लोअर एवं अपर बेसमेन्ट कवर्ड एरिया–32,407.700 वर्ग मी0 प्रत्येक। फ्लोर वाइज एरिया विवरण निम्नवत है:–

क्रमांक	नाम ब्लाक	भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0 में।	कुल कवर्ड एरिया वर्ग मी0 में।	स्टेयर की संख्या व चौडाई मी0।	ऊँचाई मी0।
01	टावर–जी0, स्टिल्ट/भूतल एवं 14 तल	1445.499	11465.157 (एफएआर) 8490.737 (कम्पसेन्ट्री एफएआर)	03 अदद 01.50 प्रत्येक	44.85
02	टावर–एच0, भूतल एवं 01 तल (शॉप्स)	412.875	597.238	03 अदद 01.50 प्रत्येक	07.35
03	टावर–जे0, (ईडब्लूएस/एलआईजी) भूतल एवं 14 तल	794.900	11531.238	02 अदद 01.50 प्रत्येक	44.70
04	नर्सरी स्कूल	402.047	टावर जी0 के भूतल पर प्रस्तावित है।	–	–

भवन का अधिभोग विवरणः– प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट (एन0बी0सी–2005 आवसीय श्रेणी ए0–4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्थाः–

1–पहुँच मार्गः– भूखण्ड के सामने मानचित्रों मे रोड की चौडाई 30.00 मी0 मानको के अनुसार अंकित की गई है, जो भवन विनियमावली के मानको के अनुसार है।

2–प्रवेश द्वारः–प्रश्नगत भवन मे प्रवेश/निकास द्वार जिसकी चौडाई–24.00 मी0 प्रस्तावित है।

3–सैटबेकः– प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत है:–

ए0–अग्रभाग–15.00 मी0।

बी0–पृष्ठ भाग–16.52 मी0।

सी0–पार्श्व भाग प्रथम–15.00 मी0।

डी0–पार्श्व भाग द्वितीय–15.00 मी0 प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार सैटबेक भवन विनियमावली मानको के अनुसार है जो सदैव हॉर्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमे किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य अनुमन्य नही होगा तथा टावरो के चारो ओर 06 मीटर का मोटरेबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान रखा जाना प्रस्तावित है ।

3– निकास मार्गः– प्रस्तावित भवन मे स्टेयर उपरोक्त तालिका के अनुसार है जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है तथा एक स्टेयर को फायर टावर के रूप मे निर्मित किया जायेगा।

(पी0 के0 राव)
संयुक्त निदेशक फा0स0
उ0 प्र0 लखनऊ

4– रिफ्यूज एरिया:– भवन मे रिफयूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट मे बालकनी का प्राविधान है जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:– प्रश्नगत भवन मे एन0बी0सी0 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाऐं कराया जाना वॉच्छनीय है।

1–भूमिगत:– प्रश्नगत भवन मे अग्निशमन कार्यो हेतु 1,50,000 हजार लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

2–पम्पस:– भूमिगत टैंक के पास 1620 एल0पी0एम0 क्षमता के 02 अदद विद्युत चालित मेन पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 01 अदद जौकी पम्प क्षमता 180 एलपीएम मानको के अनुसार स्थापित कराये जाने वॉच्छनीय है।

3–टेरिस टैंक: प्रश्नगत भवन के प्रत्येक ब्लाक/टावर की प्रत्येक टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 25,000 हजार लीटर का स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

5–होजरील मय डाउनकामर:– प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लाक/टावर मे प्रत्येक तल पर होजरील लैण्डिंग वाल्व, मय होज बाक्स, होज पाइप, एवं ब्रान्च पाइप का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

6–वेटराईजर:– प्रस्तावित भवन मे 150 एमएम का वेटराइजर का एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

7–यार्ड हाईड्रेण्टस:– प्रस्तावित भवन मे रिंग लाइन एवं उस पर यार्ड हाईड्रेण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट का मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

8–आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम::– प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लाक/टावर के सम्पूर्ण भवन मे ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 के मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

9–मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:– प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लाक/टावर मे मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

10–आटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम:– प्रस्तावित भवन आटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

11–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):– प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लाक/टावर मे निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0–2190 के वॉच्छनीय है।

12–स्मोक एक्स्ट्रेक्शन:– प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट मे स्मोक एक्स्ट्रेक्शन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

13–एग्जिट साईनेज:– सम्पूर्ण भवन के समस्त तलो पर एग्जिट साईनेज की स्थापना मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

14–पी0ए0 सिस्टम:– सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

15–प्रशिक्षित स्टॉफ:– प्रश्नगत भवन मे अधिष्ठापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के संचालन हेतु व्यवसायिक रूप से दक्ष कर्मी एवं प्रशिक्षित फायर आफिसर एन0बी0सी0–2005 के प्रस्तर सी0–6 के अनुसार नियुक्त किया जाना वॉच्छनीय है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति के श्रोत से संयोजित किया जाना एवं इनके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टॉफ रखा जाना अनिवार्य होगा तथा भवन मे फायर ड्रिल, अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण व सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा कराई जानी मानको के अनुसार वॉच्छनीय होगी यदि किसी प्रकार का निर्माण कार्य कराया जाता है तो उसके लिए अग्निशमन विभाग अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स अग्रवाल एसोसियेट (प्रमोटर्स लि0) द्वारा प्लाट नं0 जी0एच0–01, आदित्य वर्ल्ड सिटी इन्टीग्रेटिड टाउनशिप ग्राम शाहपुर बम्हेटा, गाजियाबाद मे प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 मे उल्लेखित मानको के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र।

(पी0के0राव)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
उ0प्र0, लखनऊ।

प्रतिलिपि: 1–उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ को सूचनार्थ।

2–मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3–अग्निशमन अधिकारी कोतवाली, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4–मैसर्स अग्रवाल एसोसियेट (प्रमोटर्स लि0) द्वारा प्लाट नं0 जी0एच0–01, आदित्य वर्ल्ड सिटी इन्टीग्रेटिड टाउनशिप ग्राम शाहपुर बम्हेटा, गाजियाबाद को अनुपालनार्थ।